

**U.P. STATE CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION
LTD.**

(A Govt. of U.P. Undertaking)

(AN ISO 9001:2000 certified Organisation)

Reg. Office : T.C. – 46 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow (U.P.)

Unit – Van Vihar Road Bhupatpatti, Near Railway Crossing, Jaunpur ,222002

Notice Inviting E-Tender

Ref. No.-015/EE/JNP/2026-27

DATE-13-05-2026

U.P.State construction and Infrastructure Development Corporation Ltd., Van Vihar Road, Near Railway Crossing, Bhupatpatti, Jaunpur invites in 2 bids system sealed online tenders on **Percentage Rate** from eligible and registered contractors at U.P. State construction and infrastructure development corporation ltd / Registered in **D or Above Class**. Bidders are advised to note the minimum criteria.

S. N.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money in Rs	Cost of Bid Document in Rs.	Time of Completion (in months)	Address of sale of tenders	Place of submission of tender
1	2	4	5	6	7	8	9
1	अनुसूचित जाती बाहुल्य ग्रामो हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना अंतर्गत विकास खण्ड खुटहन ग्राम सभा अहिरोपरसुरामपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण कार्य।	Rs. 49,18,410.00	Rs 1,00,000.00 Lacs	Rs 1652.00	09 months	To be downloaded from the e-tender portal of nic "etender.up.nic.in"	To be uploaded on e-tender portal of nic.

1. The contractors who fulfill the following requirements shall be eligible to apply.

- i) Should have successfully completed similar works during the last seven years ending **31st March 2025**, as A prime contractor satisfying either of the following.
- a) Three similar completed works each costing not less than **40%** of Tendered cost.
Or
- b) Two similar completed works each costing not less than **60%** of Tendered cost.
Or
- c) One similar completed work costing not less than **80%** of Tendered cost.

Note :- One Completed work of similar nature (either part of (i) or a separate one) costing not less than the amount equal to mentioned above of the estimated cost put to tender with some Central Government Department / State Government Department / Central Autonomous Body / Central or Public Sector undertaking.

- ii) Should have as Avarage Annual Financial Tournover of **50%** of estimated cost on construction work of Similar nature during last three years, ending **31st march 2025** (copy of certificate from C.A to be submitted)
- iii) Should not have incurred any loss in more than two Years during the last five years. Solvency Certificate from banker or District Magistrate to be submitted.
- iv) Information regarding project in hand, current litigation, orders regarding exclusion, expulsion or black listing, if any should be indicated.
2. The bids shall remain valid for acceptance for a period of **90 (ninety)** days from the last date of submission of bids.
3. Bidders shall uploaded two separate covers marked "technical bid" and fee in **PDF** format and "**financial bid**" in cover "**b**" in Excel format.
4. Financial bids shall be opened of those bidders whose bids are technically qualified and tender Cost and E.M.D. properly uploaded and found eligible. Scanned copy of E.M.D./Tender Fee to be uploaded with technical Bid. **In Financial Bid, Rates shall be quoted by contractor Exclusive of taxes (GST as Applicable shall be paid extra) Please Refer para. 16.8.03 of special condition of contract.**
5. A set of Bidding documents may be downloaded from the e-tender portal of NIC as mentioned in column-7 between dated mentioned in tender input form section 'F' (critical dates).
6. A Pre Bid Meeting shall be held in the office of the **Executive Engineer varansi On Date-14-05-2026.**
7. Bid must be uploaded on **e-tender** portal of NIC on before dated mention in section 'F' and the technical bids will be opened on scheduled at portal in the office of **Executive Engineer, U.P. STATE CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD, Van Vihar Road Bhupat Patti , Jaunpur** and the name

of qualified bidders Shall be uploaded to portal. The financial bids shall be opened on according and name of successful bidder shall be uploaded and displayed.

8. Bids must be accompanied with Tender Fee of the amount specified for the work. Tender Fee **must be deposited only online mode** into bank account of **U.P. State Construction and Infrastructure Development Corporation Limited (UPSCIDC LTD). Payable at Jaunpur**. The intending bidders has to upload the copy of Transaction detail on NIC Portal. Bank account Details as Follows:-

For Tender Fee-

1. Bank A/c No.- **03412040000020**
 2. Name of the Bank- Punjab National bank.
 3. Branch- katchery road, Jaunpur.
 4. IFSC Code- **PUNB0034110**.
9. Bids Must Be accompanied with earnest money of the amount specified for the Work. The Earnest Money May Be Deposited in the form of **Demand Draft or F.D.R.** of a nationalized bank/Scheduled bank (HDFC/I.D.B.I./Punjab National Bank etc.) **only payable at Jaunpur in favour of U.P. State Construction and Infrastructure Development Corporation Limited (UPSCIDC LTD)**. If earnest money is deposited by tenderer via F.D.R. the instrument should be in favour of tenderer and pledged to **U.P. State Construction and Infrastructure Development Corporation Limited, Jaunpur (UPSCIDC LTD, Jaunpur)**. The Intending bidders have to fill all the details such as Bankers name, Demand draft, F.D.R. No. and amount and Date of the issue.
10. **No** Engineer of gazetted rank or other Gazetted officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the state/ Central Government is allowed to work as a contractor for a period of two years after his retirement from government service, without Government permission. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found any time to be such a person who had not obtained the permission of the Government as aforesaid before submission of the tender or engagement in the contractor's service.
11. **Any bidder who is having criminal record is not allowed to participate in the bidding process.**
12. **Any bidder who is registered with the state bar council is not allowed to participate in the bidding process.**
13. Bidding Document's general conditions of contract can be seen with tender documents and shall be abide by the tendere.
14. The Successful bidder should accomplish an agriment with the Nigam after **L.O.I.** alongwith **3%** performance guarantee of the tendered cost in the form of D.D/FDR or Bank Gurrantee of any Nationalized/Scheduled Bank (HDFC /I.D.B.I./Panjab National bank only).
15. It is expected that participating bidders visit the site at their own cost before submitting their bids. The purpose of the site visit is to ensure the bidders acquaint themselves with the existng topographical condition, geographical condition, material availability condition, law and order situation of the proposed construction site.
16. The Bidder is encouraged to visit and examine the site of works and its surroundings, go through the plans/drawings/details connected to the work, if/as available and obtain all information that may be necessary for preparing the bid and entering into a contract for execution of the works. The costs of visiting the site shall be at the bidders own expense, risk and cost.
17. It is mandatory for the contractor or the contractor's representative of the firm participating in the tender to inspect the site after the date of publication of the tender. During the inspection, while taking GPS location photography of the site, the actual view of the site and the name plate (name of the contractor and the firm) should be clearly visible. It will be mandatory for the documents and photographs and upload them in the tender. (निविदा में प्रतिभाग करने वाली फर्म के ठेकेदार अथवा ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रकाशन की तिथि के पश्चात् साइट का निरीक्षण करना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान साइट की जी0पी0एस0 लोकेशन फोटोग्राफी करते समय साइट का वास्तविक दृश्य और नाम पट्टिका (ठेकेदार एवं फर्म का नाम जी0एस0टी0 नं0 मो0 नं0) स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। निरीक्षण दस्तावेज और फोटोग्राफ्स निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।) **यदि उक्त का पालन नहीं किया जाता तो बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।**
- Special condition**
18. Contractor should follow the Covid-19 instruction.
19. UPSCIDCO LTD. reserves the right to cancel the tender at any stage without assigning any reason.
20. GST Shall be paid extra as Applicable.
21. If the contractor fail to the achieve the stages as per mile stone without any valid reason, the E.I.C. will have the power to cancel the contract without waiting for subsequence stages completion.

Interested bidder can download The e –tender document & conditions from e-tender portal of Govt. of Uttar Pradesh i.e- <http://eterder.up.nic.in>. The bid shall be submitted online using a valid Digital Signature certificate. No other mode of submission in permitted. Bidders are advised to attend the pre-bid meeting. Any amendment of corrigendum or any other update shall be available on <http://eterder.up.nic.in>.

Executive Engineer(I/C)
UPSCIDCO LTD. JAUNPUR.

TENDER DOCUMENT
VOLUME I-A
PRE-QUALIFICATION BID

Name of Work- कर्मोक संख्या-01 के अनुसार

Estimated Cost	:	As Per NIT SR NO-1
Cost of Tender Documents	:	As Per NIT SR NO-1
Earnest Money	:	As Per NIT SR NO-1
Time of Completion	:	09 Month
Defects liability period	:	15 Months
Validity of Tender	:	90 Days
Publishing start date of tender on NIC	:	13.05.2026 from 06.50 P.M
Document sale start date	:	13.05.2026 from 06.50 P.M
Document sale end date	:	23.05.2026 from 12.00 P.M
Bid submission start date	:	13.05.2026 from 06.50 P.M
Bid submission end date	:	23.05.2026 from 12.00 P.M
(i) Pre-Qualification BID opening date	:	24.05.2026 from 12.00 P.M

INSTRUCTIONS OF THE TENDERER:

1. The tender shall be submitted as two bid system in accordance with the procedures detailed here in Specified documents shall be uploaded in appropriate format,
2. Conditional tender will not be considered.
3. Each and every document to be submitted must be numbered and its number must be indicated in the following index :-

Index of documents to be submitted along with tender

S.No.	Type of Document		Page No.
Technical Cover (A) Only in PDF file			
i)	Pre-qualification Bid	:	1 to _____
ii)	Earnest Money Dated & No.	:	_____
iii)	Experience Certificates	:	_____
iv)	Partnership Deed/ M.O.U. / Partnership	:	_____
v)	Authority Letter	:	_____
vi)	Any other Documents (Audited Balance Sheet, I.T.R, Charecter Certificate, Solvency Certificate, G.S.T, Pan, registration Certification in this corporation.	:	_____
Financial Cover (B)			
i)	Price Bid for item rate tender only in Excel format.		

Pre-Qualification Notice

1. The work is to be completed in a **time bound** schedule as per NIT from the date of Issue of L.O.I. and shall be carried out with specified specifications, workmanship and quality.
2. **UPSCIDCO LTD. reserves the right to deny pre-qualification to any applicant without assigning any reason.**
3. Each page of the application shall be duly signed by the applicant or a person duly authorized to sign on behalf of the applicant organisation. Such authorization shall be in the form of a written Power of Attorney and should accompany the application
4. Even if the applicant organisation satisfies all the required conditions, they are liable to be disqualified if they have:-
 - a. **Made any untrue/false representation in the application, statements and attachments required in the pre-qualification documents.**
 - b. **Record of poor performance such as abandoning work, not properly completing the contract or financial failures or poor workmanship in ongoing/past projects**
5. Only firms, pre-qualified under this procedure, will be eligible for the opening of envelop **(B) price bid.**
6. All erasures and alternations made while filling the tenders must be attested by the authorized signatory of the bidder. Overwriting of figures is not permitted.
7. **Any tender, which is not accompanied by the earnest money deposit, shall be summarily rejected.**
8. This document is not transferable.
9. Any form of canvassing at any stage will disqualify the tender

NOTE:- Documentary evidence for each of the above Pre-Qualification criteria should be uploaded with the Pre-Qualification Bid, failing which the offer will be rejected summarily.

**Pre-Qualification Application
(To be submitted in Applicant's Letter Head)**

To

**Executive Engineer
U.P. State Construction and Infrastructure development Corporation LTD.
Van Vihar Road Bhupatpatti, Jaunpur.**

Sub:- Application of Pre-Qualification for **As per S.No -01**

Dear Sir,

1. Having examined the Pre-Qualification document including scope of works and time frame, I/we hereby submit all the necessary information and relevant documents for pre-qualifying me/us for bidding for the above stated works.
2. The application is made by me/us on behalf of _____ in the capacity of _____. I/We duly authorized to submit the offer.
3. Necessary evidence, as admissible in law, in respect of authority assigned to me/us on behalf of the firm for applying and for completion of the contract document is attached herewith.
4. An EMD of Rs. _____/- by way of **DD/FDR No.** _____ dated _____ drawn on _____ favoring **UPSCIDCO LTD. PAYABLE AT JAUNPUR** is enclosed/uploaded already.
5. An TENDER FEE of Rs. _____/- by way of **online payment only.** _____ dated _____ drawn on _____ favoring **UPSCIDCO LTD. PAYABLE AT JAUNPUR** is enclosed/uploaded already.
6. I/We understand that only the firms pre-qualified will be invited to tender for the project as a whole or in part at discretion of **UPSCIDCO LTD.**
7. I/we understand that **UPSCIDCO LTD.** reserves the right to reject any or all applications without assigning any reason.

Yours faithfully,

(Authorized Signatory)
Official Seal

Encl:- As above

1. Complete Application format as per Schedule A
2. Evidence of Authority to sign
3. Latest Company Profile
4. Copies of documents submitted
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)

SCHEDULE – A
(Application Format)

SL. NO.	PARTICULARS	
1.	ORGANISATION DETAILS	
i)	Name of the firm/ Contractor	
ii)	Address of the firm with telephone, fax no., email (if any)	
iii)	Year of Establishment/Registration	
iv)	Status of the firm (Individual/ Partnership/Pvt. Ltd/Public Ltd.) (Documentary evidence to be attached)	
v)	Name of Directors/Partners/Proprietor With Character Certificate,	i) ii) iii)
2.	FINANCIAL DETAILS	
i)	Name and address of Bankers	i) ii) iii)
ii)	PAN No. and Income Tax Returns for the last Three years , Balance Sheet 3 year, Profit and Loss A/c 3 year.	PAN NO. F.Y.- 2022-23, 2023-24,2024-25
iii)	Active GST registration No. (Attach registration certificates as annexure)	GSTIN
iv)	EPF/ESI Registration No. (Attach registration certificates as annexure) If Available	EPF ESI
v)	Whether Solvency Certificate Enclosed. (Bank solvency should be issued within 6 month)	
3.	REGISTRATION DETAILS	
i)	(Enclose registration Certificate as annexure)	
4.	WORK EXPERIENCE	
	Please provide the following informations/details pertaining to similar projects or projects of similar magnitude completed during last 7 years or presently under construction in the format given below. Attach separate sheets for each project. Enclose copy of the completion certificate/work order from Competent Authority of a GOVT ORGANISATION for each project.	
5.	INFRASTRUCTURAL FACILITIES OF THE FIRM	
i)	EQUIPMENT	
	Construction/Execution equipment (Provide a list of plants and machineries available with the organisation with numbers	
6.	BIDDERS BID CAPACITY (AS PER FORM A1 and A2) (Notary On Rs 100 NoN Judicial Stamp Paper) Form A1 (Issued on or after the date of publication of tender from C.A) (With UDIN)	
7.	Site Photo	
8-	Required affidavit T-6 on 100 Rs stamp (Blood relation+Criminal record+Non Black List) on 100 Rs stamp Bid vailidity 90 Days on 100 Rs stamp	

Project Under Execution

S. No.	Details	
1.	Name of work/ project and location	
2.	Owner or sponsoring organization	
3.	Cost of work in Rs. (in Lacks)	
4.	Date of commencement as per contract	
5.	Stipulated date of completion	
6.	Up to Date % Financial Progress	
7.	Value of Balance Commitment to Complete work till Period for which Bid Invited (Lacks)	
8.	Slow progress if any and reasons thereof	
9.	Name and Address (Postal & E-mail) / telephone number of officer (Executive Engineer/Project Manager) to whom reference may be made	
10.	Remarks	

It is to undertake that above is the total list of works under progress in any department and information furnished is true and nothing has been hiding. Further that, if such a violation comes for hiding information or incorrect information to the notice of Department, then we shall be debarred for bidding in UPSCIDCO in future forever.

Note:

1. In Row No 6 above, only the percentage of financial progress shall be mentioned. In substantiation of financial progress, the bidder shall submit the statement of up to date payment made against each work, obtained from the Executive Engineer/Project Manager in charge of the work or by the chartered accountant.

SIGNATURE (S) OF BIDDER(S) (WITH STAMP)

FORM FOR BIDDER'S BIDDING CAPACITY
(on or after the date of publication of tender)

Name of the Firm / Bidder:.....

Name of Work:- "Construction of -----

1. The Bidding capacity of the bidder should be equal to or more than the estimated cost of the work put to tender. The bidding capacity shall be worked out by the following formula:

$$\text{Bidding Capacity (Rs.)} = \{[A \times N \times 2.5] - B\}$$

Where,

A = Maximum turnover in construction works executed in any one year during the last five years taking into account the completed as well as works in progress. The value of completed works shall be brought to current costing level by enhancing at a simple rate of 7% per annum.

N = Number of years prescribed for completion of work for which bid has been invited.

B = Value of existing commitments and ongoing works to be completed during the period of completion of work for which bid has been invited (Value of B worked out from "Form A2") .

Signature of Chartered Accountant with Seal

Seal & Signature of Bidder

CHECK LIST

Name of Work-

Name of Firm-

SL.N.	Description of Document	Check List Yes/No
1	Tender Fee (RTGS)	
2	Earnest Money (DD/FDR)	
3	Certificate of Registration in UPSCIDCO	
4	Active Registration of GSTIN No.	
5	Copy of Pan	
6	Copy of I.T.R. Last 3 Year (F.Y.-22-23-23-24+24-25)	
7	Copy of Balance Sheet & Profit & Loss Account by C.A. Last 3 Year (With UDIN) (F.Y.-22-23+23-24+24-25)	
8	Turn Over Certificate Certified by C.A. Last 3 Year (With UDIN)	
9	Copy of Experience Certificate	
10	Copy of Character Certificate	
11	Copy of Solvency Certificate	
12	Copy of Labour Registration	
13	Bidding Capacity profarma attached with NIT (Notary On Rs 100 NoN Judicial Stamp Paper) , Form A1 (Issued on or after the date of publication of tender obtained from C.A) (With UDIN)	
14	Project Under Execution (Form A2)	
15	Site Photo	
16	Afidavids – T-6 on 100 Rs stamp (Blood relation+Criminal record+Non Black List) on 100 Rs stamp Bid vailidity 90 Days on 100 Rs stamp	

NOTE-All Paper self attested with stamp

Signature with Stamp of Contractor

अनुबन्ध

यह अनुबन्ध समाज कल्याण विभाग, जौनपुर (जिन्हे आगे ग्राहक विभाग कहा गया है) द्वारा यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0,(जिन्हे आगे निगम कहा गया है) जिसकी स्वीकृत लागत रु0..... लाख है के कार्यों हेतु निगम एवं मेसर्स (जिन्हें आगे ठेकेदार कहा गया है) के मध्य दिनांक.....को निष्पादित किया जा रहा है। दोनो पक्षों के मध्य सम्पादित हो रहे अनुबन्ध की शर्तें एवं दशायें निम्नवत् हैं:-

1. ठेकेदार द्वारा दी गयी निविदा दरों के आधार पर कार्यों की बिल आफ क्वान्टिटी की धनराशि रू०.....मात्र है। निगम के पत्रांक द्वारा ठेकेदार को कार्य आवंटन पत्र (एल०ओ०आई०) जारी किया गया है। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि एल ओ आई की तिथि..... से 7 दिन है तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि, कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 09 माह के अन्दर तक होगी।
2. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बन्धित विभिन्न विभागों (Regulating Authority) यथा (पुरातत्व/विकास प्राधिकरण) से आवश्यकतानुसार क्लीयरेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु उक्त मद में ठेकेदार द्वारा व्यय की गयी धनराशि का भुगतान ग्राहक विभाग से प्राप्त धनराशि से ठेकेदार द्वारा कार्य का वास्तविक बिल प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा किया जायेगा।
3. ठेकेदार को जारी कार्य आवंटन पत्र एवं अनुबन्ध, निगम को आवन्तित कार्य के विषय में ठेकेदार को ग्राहक विभाग के साथ किसी प्रकार के सीधे औपचारिक पत्र व्यवहार के लिए अधिकृत नहीं करता है। अनुबन्ध के कारण ठेकेदार का कार्य एवं कार्य की भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व/अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
4. ठेकेदार द्वारा कार्य का सम्पादन, निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्रों, विशिष्टियों एवं संरचना के आधार पर तथा निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा समय- समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा निगम के अभियन्ता/उच्चाधिकारियों को किसी भी समय पर कार्य का निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच किये जाने का पूरा अधिकार होगा।
5. लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानको के अनुरूप कार्यस्थल पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री को प्रयोग में लाये जाने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। निर्माण सामग्री के नमूनों को ग्राहक विभाग/निगम द्वारा अनुमोदित कराने के पश्चात ही प्रयोग में लाया जायेगा। ग्राहक विभाग/निगम द्वारा किसी निर्माण सामग्री या सम्पादित कार्य के नमूने का परीक्षण किसी चयनित संस्था/कार्यस्थल पर स्थापित लैब से कराये जाने की दशा में परीक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से की जायेगी। किसी सामग्री के विशिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने पर अथवा टेस्ट में कोई सामग्री फेल होने की दशा में उक्त सामग्री को तत्काल अपने व्यय पर कार्यस्थल से हटाने नयी सामग्री आदि की व्यवस्था करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
6. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री वांछित मानकों के अनुरूप होनी चाहियें। सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा टेस्ट अपने व्यय पर कराते हुए सार्टिफिकेट/वांछित अभिलेख निर्धारित मानक आवृत्ति के अनुसार निगम के उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रमाण हेतु समय- समय पर प्रस्तुत किये जायेंगे। यदि निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री वांछित मानको के अनुरूप नहीं पायी जाती है, तो उसको अस्वीकार करने तथा उसका निर्माण कार्य पर उपयोग रोके जाने का पूर्ण अधिकार निगम का होगा।
7. निर्माण कार्य से सम्बन्धित अस्थायी जल एवं विद्युत की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर की जायेगी तथा कार्यस्थल तक निर्माण सामग्री पहुचाने हेतु आवश्यकतानुसार पहुँच मार्ग ठेकेदार द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर बनाया जायेगा उक्त के मद में निगम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
8. ठेकेदार द्वारा निगम में प्रयोग हेतु कार्यस्थल पर अनुमोदित ड्राइंग के अनुरूप कार्यालय, विद्युत एवं जलापूर्ति फर्नीचर की व्यवस्था सहित उपलब्ध कराया जायेगा। ग्राहक विभाग द्वारा इस मद में निगम को प्रतिपूर्ति किये जाने की दशा में उक्त सीमा तक ठेकेदार को भी इस मद में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
9. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों के कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसकी जांच टी०ए०सी० अथवा अन्य किसी संस्था/विभागीय अधिकारी से कराये जाने के पश्चात कार्यों मकें यदि कोई कमी प्रकाश में आती है, तो उसका निदान ठेकेदार को अपने व्यय पर करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जायेगी। यदि उक्त जांच के फलस्वरूप ग्राहक विभाग/निगम पर कोई आर्थिक दण्ड लगाया जाता है, तो उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी। ठेकेदार के किसी कार्य से ग्राहक विभाग/निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुचती है तो उस क्षति/हानि को वहन करने का दायित्व ठेकेदार का होगा, जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।

10. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य/भवन में प्रयोग किये गये उपकरणों की गारण्टी/वारण्टी प्रपत्र एवं विशिष्टियों के पूर्ण विवरण निगम को भविष्य के सन्दर्भ हेतु उपलब्ध कराया जाना ठेकेदार की बाध्यता होगी।
11. **रु0 8.00 करोड से अधिक बी0ओ0क्यू0 लागत की परियोजना पर** निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता टेस्ट हेतु कार्यस्थल पर एक गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी जिसके अन्तर्गत कोर्स सैण्ड/स्टोन ग्रिट हेतु Seive Analysis उपकरण **Compressure Testing Machine, Weighting Machine with necessary weight, Glass Cylinder for Silt Testing, cubes moldes** इत्यादि आवश्यक उपकरण प्रयोगशाला में ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर स्थापित किये जायेंगे। **रु0 5.00 करोड से कम लागत वाली परियोजनाओं पर निर्माण सामग्री की टेस्टिंग राजकीय इंजीनियरिंग कालेज/पालटेक्निक/पी0डब्लू0डी0 से नियमानुसार ठेकेदार के व्यय पर करायी जायेगी। टेस्टिंग की आवृत्ति लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुरूप रखी जाये।**
12. निर्माण स्थल पर प्रयुक्त होने वाला फेब्रिकेशन (स्टील के डोर विण्डो एवं ट्रस) निगम में पंजीकृत फ़ैब्रिकेटर से ही आपूर्ति कर कार्यस्थल पर प्रयोग किया जायेगा। इसी प्रकार रूफ ट्रीटमेन्ट/एन्टी टर्मामाइट का कार्य भी निगम में पंजीकृत फर्म से कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर रु0 100.00 के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ठेकेदार के माध्यम से निगम को भुगतान के पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।
13. ठेकेदार द्वारा लेबर मद में समस्त राजकीय/केन्द्रीय नियमों एवं कानूनों के अनुसार भुगतान, बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा, आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा इस प्रकार आने वाले समस्त व्यय को ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य पर लगायी जाने वाली मैन पावर/लेबर की मृत्यु, दुर्घटना तथा प्राकृतिक आपदा अथवा किसी अन्य कारण से हाने वाली क्षति के क्लेम हेतु आवश्यक/वांछित बीमा ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस आषय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि उक्त बीमा कार्य प्रारम्भ से निर्मित भवन के हस्तान्तरित होने तक बंध रहेगा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। ठेकेदार द्वारा लेबर सेस से सम्बन्धित प्राविधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाएगा।
14. ठेकेदार द्वारा समस्त सांविधिक अधिनियमों केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त श्रम अधिनियमों जैसे वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, एम्पलायर्स लायबिलिटी ऐक्ट, वर्कमैन कम्पन्सेशन ऐक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मेटरनिलटी बेनिफिट ऐक्ट कान्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड एबॉलीशन ऐक्ट, फ़ैक्ट्री ऐक्ट, वैट तथा सर्विस टैक्स अथवा अन्य कोई संशोधित अधिनियमों एवं उनके प्राविधानों का विधिवत अनुपालन किया जायेगा तथा किसी अधिनियम के किसी प्राविधान का अनुपालन न होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त राजकीय एवं केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार कार्यरत लेबर एवं स्टाफ के प्राविडेन्ट फण्ड पंजीकरण एवं लेबर लाइसेन्स की छायाप्रति, निगम के अधिशासी अभियन्ता के पास प्रथम भुगतान से पूर्व जमा करना होगा। उक्त के अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगायी गयी लेबर के प्राविडेन्ट फण्ड के सम्बन्ध में निगम के कार्यालय आदेश संख्या 2372, दिनांक 24 जून, 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. विद्युत कार्यो को 'ए' क्लास लाइसेन्स होल्डर से ही सम्पादित कराया जायेगा तथा लाइसेन्स की सत्यापित प्रति कार्य प्रारम्भ के पूर्व निगम को प्रस्तुत की जायेगी। मुख्य सचिव महोदय के स्तर से जारी शासनादेश संख्या 2990/84-4-2009-183(एम)/2008 दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 जिसकी प्रति ठेकेदार के अनुबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जा रही है का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
16. ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल को साफ सुथरा रखा जायेगा।
17. यदि ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है या निम्न गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्राहक विभाग द्वारा निर्माण कार्य निगम के स्थान पर किसी अन्य एजेन्सी को आवंटित करने का निर्णय ले लिया जाता है तो इस सम्बन्ध में अतिरिक्त लागत हेतु यदि निगम ग्राहक विभाग के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायीत्व होगा तो वह धनराशि/क्षति जो निगम को वहन करनी होगी की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के अवषेश बिलों तथा जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।

18. ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्यो को कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने पश्चात यदि कोई कमी प्रकाश में आती है और उससे निगम को कोई आर्थिक हानि होती है अथवा ठेकेदार के किसी कार्य से निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुंचती है तो उस क्षति/हानि की प्रतिपूर्ति के लिए ठेकेदार उत्तरदायित्व होगा। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा ठेकेदार पर पेनाल्टी/कटौती अथवा किसी अन्य मद में डेविट की जाने वाली ऐसी धनराशि जिसकी वसूली उसके बिलों, सिक्वोरिटी अथवा अन्य किसी रूप में सम्भव न होने की स्थिति में उक्त धनराशि ठेकेदार पर निगम को देय ऋण के रूप में मानी जायेगी, जिसकी वसूली निगम द्वारा लोकधन देयों की वसूली अधिनियम 1972 यू0 पी0 पब्लिक मनी रिकबरी आफ ड्यूज (एक्ट 1972) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ठेकेदार से की जायेगी।
19. यदि ग्राहक विभाग द्वारा निगम को आंशिक कार्य का अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाता है अथवा कोई विशेष शर्त लागू की जाती है तो यह समस्त शर्त एवं दशायें सम्बन्धित ठेकेदार पर भी बाध्य/लागू होगी। तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का क्लेम स्वीकार नहीं होगा।
20. निर्धारित अवधि के अनुसार ठेकेदार के द्वारा कार्य पूर्ण न करने की दश में कार्य की लागत का 01 प्रति0 प्रति सप्ताह की दर से लागत का अधिकतम 10 प्रति0 की सीमा तक पेनाल्टी अधिरोपित की जा सकती है।
21. निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार को होने वाले किसी प्रकार की क्षति के लिए निगम का कोई भी उत्तरदायित्व अथवा देनदारी नहीं होगी और इस प्रकार का कोई दावा न तो ठेकेदार द्वारा किया जायेगा और न ही निगम द्वारा स्वीकार किया जायेगा।
22. यदि कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिक द्वारा भुगतान प्राप्त न होने की शिकायत की जाती है तथा निगम द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में भी ठेकेदार द्वारा लेबर का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस दश में निगम द्वारा श्रमिकों का भुगतान करते हुए उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल/जमानत जमा धनराशि से कर ली जायेगी।
23. सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ग्राहक विभाग के अधिकारियों को कार्य का सुपरविजन निरीक्षण करने हेतु आवश्यक सहयोग/सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी। जिस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
24. निर्माणाधीन कार्य पर अग्नि, दुर्घटना, दंगों, सिविल कोमोशन/अथवा प्राकृतिक दैवीय प्रकोपों एवं चोरी आदि से जो भी क्षति होगी उसके लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा एवं उक्त हेतु निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उक्त दुर्घटना/घटनाओं से होने वाली क्षति के कार्य की सुनिश्चित लागत का बीमा ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर कराया जायेगा तथा बीमा न कराये जाने की दश में होने वाली किसी प्रकार की क्षति को ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा।
25. विस्तृत आगणन/बिल आफ क्वाटिटी में विभिन्न मदों में दर्शायी गयी मात्रा अनुमानित है तथा कार्य सम्पादन के समय किसी भी आइटम की मात्रा में किसी भी सीमा तक संशोधन हो सकता है या कोई कार्य नहीं भी सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।
26. निगम द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध करायी गयी बिल आफ क्वाटिटी में उल्लिखित मात्राओं से विचलन होने की स्थिति में धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त का भुगतान ठेकेदार को किया जायेगा।
27. निगम द्वारा ठेकेदार को ग्राहक विभाग से प्राप्त धनराशि की सीमा के भीतर कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित कराने हेतु मोबलाइजेशन अग्रिम अनुबन्ध की धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एवं सत्यापित बैंक गारण्टी के सापेक्ष दो किशतों में दिया जायेगा। प्रथम किशत 5 प्रतिशत का भुगतान कार्य स्थल पर कार्यालय की स्थापना के उपरान्त तथा दूसरी किशत 5 प्रतिशत की किशत का भुगतान कार्यस्थल पर आवश्यक प्रारम्भिक निर्माण सामग्री एवं शटरिंग आदि पहुंचने पर दी जा सकेगी। मोबलाइजेशन अग्रिम प्रतिपूर्ति प्रत्येक रनिंग बिल से 10 प्रतिशत की इस प्रकार की जायेगी कि कार्य का 75 प्रतिशत भुगतान होने तक मोबलाइजेशन अग्रिम ब्याज सहित समायोजन किया जायेगा। मोबलाइजेशन अग्रिम पर अवशेष धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज ठेकेदार से लिया जायेगा।
28. कार्यस्थल पर आगामी 2 माह में आने वाली उपलब्ध सामग्री नान पैरिशिएबल (स्टील, सीमेंट, एग्रीगेट, ब्रिक्स, सेनेट्री, दरवाजे, विद्युत सामग्री, पेन्ट आदि) के सापेक्ष ठेकेदार को सिक्वोर्ड एडवान्स लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों से कार्यस्थल पर उपलब्ध सामग्रियों के सापेक्ष बिल प्रस्तुत करने पर बिल का 75 प्रति0 अग्रिम **Indemnity Bond** रू0 100.00 के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने पर दिया जा सकेगा, जिसका समायोजन रनिंग

बिल से सामग्री के अनुरूप किया जायेगा। सिक्वोर्ड एडवांस जिन सामग्रियों हेतु दिया जायेगा उनकी सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। सामग्रियों की किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जायेगी।

29. ठेकेदार द्वारा सम्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्य की मापी के आधार पर रनिंग बिल, न्यूनतम् संबंधित भवन की बिल आफ क्वांटिटी के 5 प्रतिशत तक अथवा निम्नलिखित स्टेज के पूर्ण होने पर एल0ओ0आई0 कार्य आवंटन पत्र में दी गयी दरों के आधार पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत करने के 7 कार्य दिवस के अन्दर निगम के कार्य से सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा परीक्षण करते हुए 75 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जायेगा तथा 15 कार्य दिवस के अन्दर विधिवत् चेकिंग करते हुए शेष भुगतान किया जायेगा, जो ग्राहक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से सेन्टज आदि की जाने वाली विभिन्न कटौतियाँ करने के पश्चात् उपलब्ध धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा।
 1. प्लिंथ स्तर पर मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण होने पर।
 2. छत स्तर तक भवन के कार्य पूर्ण होने पर।
 3. छत की ढलाई होने के पश्चात् शटरिंग खुलने के उपरान्त।
 4. पैरापिट, ब्रिक कोबा कार्य पूर्ण होने पर।
 5. प्लास्टर कार्य पूर्ण होने पर।
 6. सेनेटरी, फर्श, टाईल आदि कार्य पूर्ण होने पर।
 7. बाथरूम एवं किचन के प्लेट फार्म, दीवार एवं फर्ष टाईल, दरवाजे आदि कार्य पूर्ण होने पर।
 8. पेन्टिंग, विद्युत कार्य के उपरान्त।
 9. स्थल विकास के कार्य।
 10. 5 प्रतिशत की धनराशि हस्तांतरण के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी।
30. ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार आयकर, तथा अन्य सांविधिक करों की कटौती सम्बन्धित अधिनियमों के समय-समय पर लागू प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।
31. ठेकेदार के प्रत्येक रनिंग बिल से कार्यवार 5 प्रति0 की जमानती धनराशि निविदा के साथ प्रस्तुत की गयी ई0एम0डी0 की धनराशि के समायोजन होने के उपरान्त काटी जायेगी जिसे निर्माण कार्य ग्राहक विभाग को हस्तांतरित होने के एक वर्ष पश्चात् (जिसे डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड कहा जायेगा) अवमुक्त किया जायेगा। ठेकेदार की जमानत धनराशि के मद में कुल जमा धनराशि के 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अवमुक्त किया जा सकता है। डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि में कार्य में किसी भी प्रकार की कमी आने पर उसका निराकरण ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में आने वाली समस्त कमियों का निराकरण एवं अनुरक्षण एक सप्ताह के अन्दर कराया जायेगा अन्यथा उक्त कार्य को निगम द्वारा स्वयं सम्पादित कराकर आने वाले व्यय की वसूली ठेकेदार की जमा सिक्वोरिटी धनराशि से कर ली जायेगी।
32. कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार द्वारा निगम को पूर्ण कार्य का अन्तिम बिल निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अन्य वांछित सूचनाओं/विवरण के साथ उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
33. यदि ग्राहक विभाग द्वारा निगम के बिलों से रिटेन्शनमनी/अन्य कोई कटौतियाँ की जायेगी तो ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान के समतुल्य धनराशि की कटौती की जायेगी।
34. कार्य स्थल पर निविदित बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की विषिष्टियों में परिवर्तन कदापि न किया जाये। अपरिहार्य परिस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी (यथा ग्राहक विभाग, तकनीकी स्वीकृति प्रदाता अधिकारी इत्यादि) से अनुमोदन प्राप्त करते हुए ही विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाये, परन्तु उक्त के फलस्वरूप कार्य लागत अतिरेक से प्रभावित न हो।
35. अतिरिक्त आइटम के भुगतान हेतु तकनीकी स्वीकृति में लोक निर्माण विभाग की शिड्यूल की प्रभावी दरों में अंकित आइटम के अनुरूप दरों पर एल0ओ0आई0 की शर्तों के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी, यदि उक्त आइटम लोक निर्माण विभाग की शिड्यूल की दरों में उपलब्ध न होने की दशा में दरें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (डी0एस0आर0 का वर्ष तकनीकी स्वीकृती में प्रयुक्त प्रभावी वर्ष की दरों के अनुसार) की दरें प्रयोग की जायेगी। दोनो शिड्यूल में दरें न होने की दशा में न्यूनतम् बाजार दरो पर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।

36. निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने, बिल प्रस्तुत किये जाने, बिल पारित किये जाने निर्माण कार्य के शिड्यूल आदि से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया जो निगम/ग्राहक विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
37. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य को निर्धारित माइल स्टोन के अनुरूप कराया जाना होगा, यदि कार्य की प्रगति निर्धारित माइल स्टोन के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो निगम को माइल स्टोन न प्राप्त करने के सापेक्ष धनराशि रोकने/कार्य का अनुबन्ध आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसा किये जाने की दशा में ठेकेदार द्वारा सात दिनों के अन्दर कार्यस्थल से अपनी लेबर तथा अप्रयुक्त सामग्री को अपने व्यय पर हटाना होगा अन्यथा निगम द्वारा कार्यस्थल पर कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
38. ठेकेदार द्वारा निगम से अनुमोदित अथवा एस0ओ0आर0 में प्रदर्शित ब्राण्ड/मेक की उच्च गुणवत्तायुक्त असली निर्माण सामग्री निर्माण अथवा उसके अधिकृत वितरक से क्रय करके प्रयोग करनी होगी तथा सामग्री की पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी।
39. परियोजना पूर्ण होने के पश्चात भवन हस्तान्तरण तक ठेकेदार को निर्मित भवन एवं परिसर की अपने व्यय पर सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी तथा भवन हस्तान्तरण के समय यदि कोई कमी पायी जाती है तो उसे ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर ठीक/पूर्ण कराना होगा।
40. निगम एवं ठेकेदार के मध्य किसी प्रकार के विवाद की दशा में प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
41. ग्राहक विभाग से किसी प्रकार के विवाद की दशा में ग्राहक विभाग नामित आर्बीटेटर द्वारा विवाद का निस्तारण किया जायेगा तथा आर्बीटेटर देय मानदेय शुल्क का वहन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा, आर्बीटेटर का जो निर्णय निगम पर लागू होगा उसके अनुपालन हेतु ठेकेदार पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
42. यदि ग्राहक विभाग से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है एवं उक्त के फलस्वरूप ग्राहक विभाग अथवा अन्य को कोई धनराशि देय होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा निगम को करनी होगी।
43. ठेकेदार को कार्यादेश जारी होने की तिथि के 7 दिनों के भीतर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि द्वितीय किश्त प्राप्त होने के 9 माह तक पूर्ण कराना अनिवार्य होगा परन्तु यदि ग्राहक विभाग द्वारा पूर्ण करने की तिथि में परिवर्तन किया जाता है तो उक्त तिथि तक ठेकेदार को समय दिया जा सकता है, अन्यथा अनुबन्ध की शर्त संख्या 19 के अनुसार ठेकेदार पर कार्यवाही की जायेगी।
44. यदि ग्राहक विभाग एवं निगम के मध्य यदि कोई अनुबन्ध निष्पादित किया जाता है अथवा ग्राहक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश दिये जाते हैं तो उक्त अनुबन्ध/निर्देश अनुबन्ध के पार्ट होंगे तथा इस अनुबन्ध के साथ पढ़े जायेंगे।
45. कार्य की अनुमोदित निविदा के समस्त टेण्डर डाक्यूमेन्ट, एन0आई0टी0, जनरल कंडीशन आफ कांट्रैक्ट, विशिष्टियां, बी0ओ0क्यू0, ड्राइंग/प्लान, कार्य पूर्ण करने का शिड्यूल, लेटर आफ एक्सैपटेंस इस अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
46. न्यायालय संबंधी किसी भी प्रकार के वाद का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

ठेकेदार की ओर से

निगम की ओर से

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

साक्षी

साक्षी



GPS Map Camera



Ahira Parshuraampur, Uttar Pradesh, India 
Xj5v+67h, Ahira Parshuraampur, Uttar Pradesh 222139, India
Lat 25.959518° Long 82.643454°
Wednesday, 31/12/2025 09:21 AM GMT +05:30